उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-5/2025/851208/60-1099/350/2024

लखनऊ::दिनांक: 15 जनवरी, 2025

कार्यालय आदेश

शासन के पत्र संख्या-1493/60-1099/369/2023, दिनांक-13.12.2023 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015एवं तत्संबंधी नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करने एवं बाल कल्याण समिति की शक्तियों का दुरूपयोग करने इत्यादि आरोपों के सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 में विहित प्राविधानों के आलोक में श्रीमती सविता शर्मा, सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिजनौर की सदस्यता समाप्त की गयी है।

2- निदेशक, महिला कल्याण के पत्र दिनांक 03.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट सी संख्या 3817/2024 शालिनी सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.09.2024 पारित करते हुए श्रीमती सविता शर्मा, सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिजनौर की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने विषयक शासनादेश दिनांक-13.12.2023को रद्द कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट सी संख्या 3817/2024 शालिनी सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में श्रीमती सविता शर्मा, सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिजनौर की सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी शासन के आदेश दिनांक 13.12.2023 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(अशोक कुमार तिवारी)

संयुक्त सचिव

संख्या-5/2025/851208(1)/60-1099/350/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिलाधिकारी, बिजनौर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- श्रीमती सविता शर्मा, सदस्य, बाल कल्याण समिति, बिजनौर द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।